ई–मेल संचिका संख्या 11/आ0प्र0 (विविध) 01/17

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

अनिल कुमार
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन,
बिहार।

पटना, दिनांक–

विषयः– **संभावित सुखाड़ की स्थिति से निपटने हेतु स्वास्थ्य सुरक्षा की तैयारी के सबंध में।**

प्रसंगः– **स्वास्थ्य विभाग अनुदेश संख्या– 741(11) दिनांक 20.07.2018।**

महाशय,

निदेशानुसार, दिनांक–11.04.2019 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आपातकालीन प्रबन्धन समूह (Crisis Management Group) की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार राज्य के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध दवाओं की समीक्षा कर सभी आवश्यक दवाओं का भंडारण एवं आवश्यकतानुसार रोगियों के बीच वितरण किया जाए। इस क्रम में यह सुनिश्चित किया जाए कि निम्नांकित दवाओं की उपलब्धता अचूक रूप से सभी स्वास्थ्य संस्थानों में बनी रहे :–

(i) ए0आर0भी0(सियार/कुता आदि काटने की दवा)।
(ii) ए0एस0भी0एस0 (साँप काटने की दवा)।
(iii) ओ0आर0एस0 पैकेट।
(iv) हैलोजन (क्लोरिन) टैबेलेट।
(v) कै एवं दस्त निरोधक दवाएँ।
(vi) ब्लींचिंग पाउडर।
(vii) I.V Fluid एवं अन्य जीवन रक्षक आवश्यक दवाएँ।

विश्वासभाजन

ह0/

(अनिल कुमार)

ज्ञापांक–356(11) स्वा0, पटना/दिनांक– 12/04/2019

प्रतिलिपिः–कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/प्रबन्ध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना से अनुरोध है कि उनके स्तर से दवाओं की उपलब्धता कृपया सुनिश्चित करायी जाएगी।

प्रतिलिपिः–सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार को सूचनार्थ एवं विभागीय निदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

12.4.19

संयुक्त सचिव